

कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ए-1/4, लखनपुर, कानपुर। निष्प्रयोज्य वाहनो की बिकी की नीलामी हेतु सूचना

क0	वाहन	क्रय	धरोहर धनराशि
्र सं0	्रपाहरा संख्या व	क्रथ वर्ष / वाहन	वराहर वर्गसारा
UF9			
	मेक(नाम)	का नाम	
1	UP- 32	2004	₹0 7,500.00
	BE-5210	अम्बेसंडर	
2	UP-32	2005	₹0 7,500.00
	BM-0738	अम्बेसडर	
3	UP-32	2006	₹0 7,500.00
	DX-2583	अम्बेसंडर	
4	UP-32	2011	₹0 7,500.00
	DS-9788	अम्बेसंडर	
5	DL-3C-	2002	₹0 7,500.00
	Y 2182	अम्बेसंडर	
6	UP-32	2006	₹0 7,500.00
	BY-6099	अम्बेसंडर	
7	UP-32	2002	₹0 7,500.00
	AR-7297	टाटा	
		सफारी	
8	UP-78	2009	₹0 7,500.00
	BS-5971	इण्डिका	
9	UP-78	2009	₹0 7,500.00
	BS-5973	इण्डिका	
10	UP-78	2009	₹0 7,500.00
	BS-5972	इण्डिगो	

नियम एवं शर्ते:-

- 1. वाहन न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम पर नीलामी न होगी। निविदादाताओं द्वारा जो भी अधिकतम बोली होगी उस मूल्य पर नियमानुसार जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा।
- 2. निष्प्रयोज्य वाहनों की निविदा हेतु पूर्व में निर्धारित धरोहर धनराशि रू० 7500/— का बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर यूपीएसआईडीसी लि० के नाम Payable at Kanpur के पक्ष में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर के पीछे निविदादाता द्वारा अपना नाम, निष्प्रयोज्य वाहन सं०/निष्प्रयोज्य सामग्री व मोबाइल नं० भी अंकित किया जायेगा। उक्त के साथ ही पहचान पत्र व पते से सम्बन्धित प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ जमा करनी होगी।
- 3. यदि निविदादाता द्वारा एक से अधिक वाहनों पर बोली लगाना चाहता है तो निविदादाता को अलग—अलग धनराशि (सिक्योरिटी) रू० 7500/— प्रति वाहन के हिसाब से जमा करना होगा।
- 4. प्रत्येक निविदादाता को नीलामी के समय अपनी फोटो, पहचान पत्र एवं पता प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखाना होगा।
- 5. नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त अवशेष समस्त धनराशि कर सिहत एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा तथा उसके उपरान्त 15 दिन के अन्दर निष्प्रयोज्य वाहनों को उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में रू० 100/— प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

- 6. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी के उपरान्त निर्धारित समयावधि में अवशेष धनराशि जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि के रूप में जमा की गयी धनराशि यूपीएसआईडीसी लि0 कानपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 7. वाहनों की नीलामी जहाँ है व जिस स्थित में है के आधार पर की जायेगी निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि नीलामी में बोली बोलने से पूर्व वाहनों को कार्यस्थल पर जाकर किसी भी कार्यदिवस पर स्वंय देख परख ले। नीलामी के बाद यदि वाहन में कमी इंगित की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी।
- 8. बीमा का खर्च, रोड टैक्स, सेल्स टैक्स तथा नियमानुसार जी०एस०टी० लागू होंगे वह केता द्वारा वहन किये जायेगे।
- 9. उच्चतम बोली के प्रस्ताव का निर्धारण मौखिक बोली के आधार पर की जायेगी।
- 10. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोली लगाने वाले केता के अतिरिक्त अन्य की धरोहर राशि 07 दिन के बाद वापस कर दी जायेगी।